न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के समक्ष,
वेद प्रकाश अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य अन्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपीनं. 2012 का 10981
30 अक्टूबर 2012

A. भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226/227 - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - धारा 3 - क्या सूचना केवल नागरिक को ही प्रदान की जा सकती है, नागरिकों के समूह को नहीं - तीन व्यक्ति संयुक्त रूप से सूचना मांगने के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं - क्या व्यक्तियों का समूह बनाया जाएगा और एक अलग इकाई का गठन किया जाएगा - आयोजित, नहीं।

निर्धारित किया गया कि वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता, जिन्होंने अधिनियम के तहत प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया था, संविधान के लागू होने के बाद भारत में पैदा हुए थे। उन्होंने कुछ जानकारी मांगने के लिए एक संयुक्त आवेदन दायर किया था। 'सवाल यह है कि क्या उनके आवेदन/आवेदन को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि व्यक्तियों का समूह होने के कारण उन्हें नागरिक नहीं कहा जा सकता है? तीन व्यक्तियों, जिन्होंने लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन या आयोग के समक्ष अपील दायर की थी, ने कोई अलग कानूनी इकाई का गठन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्थिति खो दी है। यह अपने आप में एक कानूनी इकाई नहीं बन पाई है, जैसा कि कंपनी के गठन के मामले में हो सकता है, जिसकी अलग कानूनी इकाई होती है। एन. खदेरवली साहेब (मृत) बाय एलआर और अन्य बनाम एन. गुडू साहेब (मृत) और अन्य, (2003) 3 एससीसी 229 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि यहां तक कि एक साझेदारी फर्म के पास भी स्वतंत्रता नहीं है। हालाँकि, उस आसानी में कुछ व्यक्ति साझेदारी विलेख नामक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके किसी व्यवसाय या अन्य गतिविधि को चलाने के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं और ऐसी इकाई को एक अलग नाम देते हैं।

(पैरा 9)

B. भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226/227 - सामान्य खंड अधिनियम 1897 - धारा 13 - एकवचन में शब्दों में बहुवचन शामिल होंगे और इसके विपरीत - यदि एक से अधिक व्यक्ति एक ही राहत के लिए अलग-अलग आवेदन दायर कर सकते हैं तो वे हमेशा एक दायर कर सकते हैं संयुक्त आवेदन।

निर्धारित किया गया कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 13 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो, एकवचन में शब्दों में बहुवचन शामिल होंगे और इसके विपरीत। वर्तमान मामले में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आयोग के समक्ष अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से भारत के नागरिक होने के कारण जानकारी मांगने के लिए अधिनियम के तहत अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के हकदार थे। केवल

इसलिए कि एक से अधिक नागरिकों ने संयुक्त आवेदन दायर करके जानकारी मांगी थी, जबकि उनकी कार्रवाई का कारण एक ही है, इसे यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि यह व्यक्तियों के समूह द्वारा दायर किया गया था। अंतिम उद्देश्य अनेकता से बचना है। यदि एक से अधिक व्यक्ति एक ही राहत के लिए अलग-अलग आवेदन दायर कर सकते हैं, तो वे हमेशा एक संयुक्त आवेदन दायर कर सकते हैं।

(पैरा 10)

C. भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226/227 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 - आयोग के समक्ष अपील - सुनवाई का अवसर न्यूनतम आवश्यकता है - इसके अभाव से पूर्वाग्रह पैदा होता है और यह किसी भी प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त है।

यह निर्धारित किया गया कि वर्तमान मामले में विद्वान वकील (ऑर्थो याचिकाकर्ताओं) द्वारा उठाई गई शिकायत यह भी है कि अपील पर निर्णय लेने से पहले, याचिकाकर्ताओं को आयोग द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि किसी को भी अनसुना नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने अपील की थी, न्यूनतम यह आवश्यक था कि उन्हें सुनवाई की तारीख की सूचना दी जाए ताकि वे आयोग के समक्ष उपस्थित हो सकें और अपनी बात आसानी से रख सकें। सईदुर रहमान बनाम बिहार राज्य, (1973)3एससीसी333; का संदर्भ लिया जा सकता है। मनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 एससीसी 248; मोहिन्दसीआर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, (1978) 1 एससीसी 405; स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ, (1981) 1 एससीसी 664; विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 23 781 ऑफ़ 2007-इंदु भूषण द्विवेदी बनाम राज्य झारखंड और अन्य, 5.7.2010 को निर्णय लिया गया। ऐसा नहीं किया गया है, इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है, अकेले याचिका का आधार भी पर्याप्त है किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए।

(पैरा 13)

D. भारत का संविधान, 1950 - कला। 226/22 7 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 - अभ्यास और प्रक्रिया - आवेदन/अपील पर निर्णय लेते समय। नामित प्राधिकारी को अपने आदेश में आवेदक के लिए उपलब्ध अपील के उपाय और उसे दाखिल करने की सीमा का उल्लेख करना होगा।

यह निर्धारित किया गया कि लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आवेदकों/आवेदकों के मार्गदर्शन के उद्देश्य से, यह उचित होगा यदि दायर की गई याचिका/प्रथम अपील पर निर्णय लेते समय, आदेश में ही यह उल्लेख किया जाए कि संबंधित पक्ष यदि व्यथित है, तो उसके पास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नामित प्राधिकारी के पास अपील का उपाय है। उस अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके दौरान ऐसे उपाय का लाभ उठाया जा सकता है।

(पैरा 15)

याचिकाकर्ताओं के वकील रघुजीत सिंह मदान।
रूपक बंसल, अतिरिक्त. महाधिवक्ता, हरियाणा।

जस्टिस राजेश बिंदल

(1) याचिकाकर्ताओं ने मुख्य सूचना आयुक्त, हरियाणा (संक्षेप में, 'आयोग') द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.3.2012 को चुनौती देते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसके तहत उनके द्वारा दायर अपील को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 3 का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था। यह मानता है कि अधिनियम के तहत, सूचना का अधिकार केवल एक नागरिक को प्रदान किया जाता है, न कि किसी समूह को, इसलिए, अधिनियम के तहत उनकी ओर से कोई भी आवेदन/अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

(2) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक सूचना अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, बी एंड आर, जींद सर्कल से कुछ जानकारी मांगने के लिए आवेदन दायर किया और अपेक्षित शुल्क जमा किया। चूंकि सार्वजनिक सूचना अधिकारी द्वारा कुछ अस्पष्ट और अधूरी जानकारी प्रदान की गई थी, याचिकाकर्ताओं ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की, जिन्होंने आदेश दिनांक शून्य, पृष्ठांकन दिनांक 7.12.2011 के तहत सूचना की आपूर्ति के लिए निर्देश दिया और सार्वजनिक सूचना अधिकारी को भविष्य में सावधान रहें चेतावनी भी दी। चूँकि जानकारी अभी भी प्रदान नहीं की गई थी, याचिकाकर्ताओं ने आयोग के समक्ष अपील की, जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को धारा 3 के संदर्भ में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि केवल एक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से ऐसा सूचना प्राप्त करने का अधिकार है न कि नागरिकों के एक समूह को।

(3) विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता, जिनकी संख्या तीन है, भारत के नागरिक हैं, मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए उनके द्वारा आवेदन दायर किया गया था क्योंकि उनके द्वारा मांगी गई जानकारी सामान्य थी। यह उनमें से हर एक द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी खोजा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यदि तीन व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से अधिनियम के तहत प्राधिकरण से संपर्क किया है, तो उनकी व्यक्तिगत स्थिति बदल जाएगी। यह उनकी व्यक्तिगत स्थिति से कानूनी इकाई नहीं बन जाएगी, जिसे भारत के नागरिक नहीं कहा जा सकता है, जैसे कि समाज या कंपनी, उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील पर विचार करने से पहले, आयोग ने भी ऐसा नहीं किया कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करें।

(4) राज्य के विद्वान वकील ने हालांकि आदेश का बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन सफलतापूर्वक यह दलील नहीं दे सके कि यदि तीन व्यक्ति संयुक्त रूप से याचिका दायर करते हैं, तो उनके आवेदन को कायम रखने योग्य नहीं मानते हुए सूचना प्रदान नहीं की जा सकती। जहां तक विवाद के गुण-दोष का सवाल है, विद्वान वकील ने कहा कि सारी जानकारी। जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगा गया था, पहले ही आपूर्ति की जा चुकी है। नियमों की प्रतियां, जैसा कि मांगी गई हैं, भी प्रदान की जाएंगी और वास्तव में, याचिकाकर्ताओं की शिकायत कम नहीं हुई है और याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

(5) पक्षों के विद्वान वकील को सुना और पेपर बुक का अवलोकन किया।

(6) हालांकि पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का इस स्तर पर निपटारा किया जा सकता था क्योंकि याचिकाकर्ताओं को अपेक्षित जानकारी प्रदान की गई है, हालांकि, अभी भी इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील आयोग द्वारा इसकी रखरखाव के संबंध में गैर-टिकाऊ आधार पर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, इसके परिणामस्वरूप भविष्य में इस तरह के अवैध आदेश पारित हो सकते हैं, यह अदालत इस मुद्दे से निपटना चाहेगी। इसके अलावा, जिस अन्य मुद्दे से निपटने की आवश्यकता है वह अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने से संबंधित है।

(7) भारत के संविधान का भाग II नागरिकता के मुद्दे से संबंधित है। संविधान के प्रारंभ में अनुच्छेद 5 नागरिकता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 6 उन कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों का प्रावधान करता है जो पाकिस्तान से भारत चले आए हैं। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा उससे संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।

(8) नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता के मुद्दे से संबंधित है। यह जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, क्षेत्र के समावेश आदि द्वारा नागरिकता प्रदान करता है। अन्य बातों के साथ-साथ इसकी धारा 3 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म (ए) 26.1.1950 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1986 शुरुआत से पहले हुआ है। और (बी) ऐसे प्रारंभ पर या उसके बाद और जिनके माता-पिता में से कोई एक उनके जन्म के समय भारत का नागरिक है, जन्म से भारत का नागरिक होगा।

(9) वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता, जिन्होंने अधिनियम के तहत प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया था, संविधान के प्रारंभ होने के बाद भारत में पैदा हुए थे, उन्होंने कुछ जानकारी मांगने के लिए एक संयुक्त आवेदन दायर किया था। प्रश्न यह है कि क्या उनके आवेदन/अपील को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि व्यक्तियों का समूह होने के कारण उन्हें नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है? तीन व्यक्तियों, जिन्होंने लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन या आयोग के समक्ष अपील दायर की थी, ने कोई अलग कानूनी इकाई का गठन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्थिति खो दी है। यह अपने आप में एक कानूनी इकाई नहीं बन गई है जैसा कि किसी कंपनी के गठन के मामले में हो सकता है, जिसकी अलग कानूनी इकाई होती है। एलआर द्वारा ए खदेरवली साह (मृत) और अन्य बनाम एन गुड्डू साह (मृत) और अन्य[1] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि एक साझेदारी फर्म के पास भी एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, हालांकि उस मामले में कुछ व्यक्ति साझेदारी विलेख कहे जाने वाले दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके किसी व्यवसाय या अन्य गतिविधि को चलाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं और ऐसी इकाई को एक अलग नाम देते हैं। फर्म का नाम केवल साझेदारी को दिया गया एक संक्षिप्त नाम है और साझेदार साझेदारी की संपूर्ण संपत्ति के वास्तविक मालिक हैं।
उसका प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे दिया गया है:

"एक साझेदारी फर्म एक स्वतंत्र कानूनी इकाई नहीं है, साझेदार साझेदारी फर्म की संपत्ति के वास्तविक मालिक हैं। दरअसल, फर्म का नाम साझेदारी को सुविधा के लिए दिया गया एक सारगर्भित नाम मात्र है।

---

[1] (2003)3 एससीसी 229

साझेदारी की उनकी संपत्ति फर्म के साझेदारों की है और उनके स्वामित्व में है। जब तक साझेदारी जारी रहती है तब तक प्रत्येक भागीदार साझेदारी फर्म की सभी संपत्तियों में रुचि रखता है क्योंकि प्रत्येक भागीदार साझेदारी में अपने हिस्से की सीमा तक संपत्ति का मालिक होता है। साझेदारी फर्म के विघटन पर, भागीदारों के बीच खातों का निपटान किया जाता है और साझेदारी की संपत्ति को साझेदारी फर्म में उनके संबंधित शेयरों के अनुसार भागीदारों के बीच वितरित किया जाता है। इस प्रकार, एक साझेदारी फर्म के विघटन पर, व्यक्तिगत भागीदारों को संपत्ति का आवंटन फर्म की किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण का मामला नहीं है। जो परिसंपत्तियाँ पहले प्रत्येक साझेदार की थीं, वे फर्म के विघटन के बाद साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से आवंटित कर दी जाएंगी।

(10) सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 13 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो, एकवचन में शब्दों में बहुवचन शामिल होंगे और इसके विपरीत। वर्तमान मामले में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आयोग के समक्ष अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से भारत के नागरिक होने के कारण जानकारी मांगने के लिए अधिनियम के तहत अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के हकदार थे। केवल इसलिए कि एक से अधिक नागरिकों ने संयुक्त आवेदन दायर करके जानकारी मांगी थी, जबकि उनकी कार्रवाई का कारण एक ही है, इसे यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि यह व्यक्तियों के समूह द्वारा दायर किया गया था। अंतिम उद्देश्य अनेकता से बचना है। यदि एक से अधिक व्यक्ति एक ही राहत के लिए अलग-अलग आवेदन दायर कर सकते हैं, तो वे हमेशा एक संयुक्त आवेदन दायर कर सकते हैं।

11) इस प्रकार के आदेशों को पारित करने से बचने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकदमेबाजी का निर्माण हो सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयोगों के कामकाज के संबंध में कुछ टिप्पणियां की थीं और 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 210 नैनिट शर्मा बनाम भारत संघ, 13.9.2012 को फैसला सुनाया गया और निर्देश जारी किए थे। उसके संबंधित भाग नीचे निकाले गए हैं:

99) यह चर्चा हमें सुरक्षित रूप से इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यों को कानूनी रूप से योग्य और अपेक्षित अनुभव रखने वाले प्रशिक्षित दिमाग द्वारा बेहतर ढंग से निष्पादित किया जा सकता है। इसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, यानी केंद्र और राज्य स्तर पर नामित किए जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के पदनाम पर भी लागू किया जाना चाहिए। हालाँकि, धारा 5 की भाषा को ध्यान में रखते हुए, इस सिद्धांत को लोक सूचना अधिकारी के पद पर लागू करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

100) इसके अलावा, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, सूचना आयोग अर्ध-न्यायिक कार्य कर रहा है और इसकी न्यायिक शक्तियों का सार न्यायालय प्रणाली के समान है। इसमें न्यायालय की आवश्यक सुविधाएं भी मौजूद हैं और यह उन कार्यों का निर्वहन करता है जिनका पार्टियों के अधिकारों/दायित्वों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, इसे एक न्यायिक न्यायाधिकरण कहा जाना चाहिए, जिसके संचालन के लिए उस क्षेत्र में न्यायिक दिमाग, विशेषज्ञता और अनुभव वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है।

XX XX XX XX

103) उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि 2005 के अधिनियम के प्रावधानों और योजना के तहत, नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति सार्वजनिक प्रतिष्ठित होने चाहिए, निर्दिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव के साथ और अधिमानतः न्यायिक पृष्ठभूमि वाले होने चाहिए। उनके पास दिन-प्रतिदिन के कामकाज में आयोग के सामने आने वाले कानून के जटिल सवालों से निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से निपटने के

लिए न्यायिक कौशल और अनुभव होना चाहिए। आयोग एक न्यायिक न्यायाधिकरण के अनुयायियों को संतुष्ट करता है जिसमें एक अदालत की सुविधाएं होती हैं। जिसमें अदालत की साज-सज्जा है। यह न्याय के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करेगा, सूचना आयोग का संचालन कानूनी विशेषज्ञता वाले और न्यायनिर्णयन के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया था। हम आगे स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसे न्यायिक सदस्य व्यक्तिगत रूप से या दो की बेंच में काम कर सकते हैं। एक न्यायिक सदस्य है जबकि दूसरा विशेषज्ञ सदस्य कहलाने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों से योग्य व्यक्ति है। इस प्रकार, संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए, हमें अधिनियम की धारा 12(5) को पढ़ना होगा कि अभिव्यक्ति 1 ज्ञान और अनुभव* में उस क्षेत्र में बुनियादी डिग्री और उसके बाद प्राप्त अनुभव शामिल है और दूसरा कानूनी रूप से योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति लोगों को बेहतर न्याय प्रदान करेंगे, खासकर जब उनसे एक न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद की जाती है जिसमें महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न और कानून की बारीकियां शामिल होती हैं। कानूनी सिद्धांतों की इस तरह की सराहना और अनुप्रयोग आयोग के निर्णायक कामकाज के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह न्याय के संतुलन को किसी भी तरफ झुका सकता है मैल्कम ग्लैडवेल ने कहा, "अच्छे निर्णय लेने की कुंजी ज्ञान नहीं है। यह समझ है. हम पूर्व में तैर रहे हैं। हमारे पास न्यायिक न्यायाधिकरण के प्रबंधन के लिए न्यायिक दिमाग की बाद की आवश्यकता का अभाव है, जो कि सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में शायद ही किसी अपवाद के साथ एक अच्छी तरह से स्वीकृत अनुशासन है " [जोर दिया गया]

12) तदनुसार, आयोग द्वारा अपील को खारिज करते हुए पारित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे खारिज कर दिया गया है। हालाँकि, मामले को वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को पहले ही प्रभावी राहत दी जा चुकी है और उत्तरदाताओं ने उन्हें नियमों की प्रति प्रदान करने का वचन दिया है और याचिकाकर्ता किसी भी अतिरिक्त जानकारी के हकदार नहीं हैं।

13) वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई शिकायत यह भी है कि अपील पर निर्णय लेने से पहले, याचिकाकर्ताओं को आयोग द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि किसी की भी अनसुनी निंदा नहीं की जा सकती। यदि याचिकाकर्ताओं ने अपील दायर की थी, तो न्यूनतम यह आवश्यक था कि उन्हें सुनवाई की तारीख की सूचना दी जाए ताकि वे आयोग के समक्ष उपस्थित हो सकें और अपना मामला प्रस्तुत कर सकें। सईदुर रहमान बनाम बिहार राज्य[2], मेनका गांधी बनाम भारत संघ[3], मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त[4], स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ[5], विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 23781, 2007- इंदु भूषण द्विवेदी बनाम राज्य झारखंड और अन्य, 5.7.2010 को निर्णय लिया गया का संदर्भ लिया जा सकता है। ऐसा नहीं किये जाने से याचिकाकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह आधार अकेले किसी भी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त है।

14) 2010 के सी.डब्ल्यू.पी नंबर 17157 में इसी तरह का एक मुद्दा इस अदालत के समक्ष विचार के लिए आया था - मेसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड बनाम कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य, 24.7.2012 को निर्णय लिया गया, जहां कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसका प्रमुख मामला नई दिल्ली में है, ने चंडीगढ़ में कैंप कोर्ट आयोजित करके कुछ मामलों की सुनवाई की। हालाँकि, सुनवाई की तारीख के बारे में संबंधित पक्ष को उचित सूचना नहीं दी गई, इस आदेश को रद्द कर दिया गया

[2] (1973)3 एससीसी 333
[3] (1978) 1 एससीसी 248
[4] (1978) 1 एससीसी 405
[5] (1981)1 एससीसी 664

और मामले को वापस भेज दिया गया। इस न्यायालय ने कार्यवाही के संचालन, सभी अंतरिम और अंतिम आदेशों में पीठासीन अधिकारी के नाम और पदनाम का उल्लेख करने की आवश्यकता और प्रौद्योगिकी के उपयोग से नोटिस की सेवा के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे, जिन्हें नीचे दिया गया है:

25) आदेश से अलग होने से पहले, यह अदालत कार्यवाही के संचालन के तरीके पर टिप्पणी करना चाहेगी। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, मामले की सुनवाई तिथि-वार यानी सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर नहीं की जा रही थी। सुनवाई की दो अलग-अलग तारीखें तय करते हुए एक ही तारीख पर दो अलग-अलग आदेश पारित किए गए हैं। ट्रिब्यूनल महत्वपूर्ण अर्ध न्यायिक कार्य का निर्वहन कर रहा है। मामलों को उस तरीके से नहीं निपटाया जा सकता जिस तरह से वर्तमान मामले में निपटाया गया है। कुछ ज़िमनी आदेशों में तो यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उस आदेश पर हस्ताक्षर किसने किये थे। न तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और न ही उसके पद का उल्लेख किया गया है। भविष्य में यह निर्देश दिया जाता है कि ट्रिब्यूनल द्वारा किसी अपील या अन्य कार्यवाही में जो भी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित किए जाएंगे, उन आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
(26) न्यायालयों में सभी कार्यवाही लिखित रूप में होती है। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है कि 21.9.2007 के बाद वर्तमान सहजता में जब सहजता 14.12.2007 तक स्थगित कर दी गई थी, केवल चंडीगढ़ में सुनवाई की तारीख 19.5.2010 तय करने वाला एक नोटिस रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। किसी भी तारीख पर फाइल लेने और सुनवाई की अगली तारीख तय करने और पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश देने का कोई आदेश नहीं है। इसके अभाव में, किस अधिकार के तहत पार्टियों को नोटिस जारी किया गया, यह रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। ट्रिब्यूनल का प्रधान न्यायाधीश दिल्ली में है। जैसा कि बताया गया है, कभी-कभी यह विभिन्न स्थानों पर सर्किट बेंच रखता है। जो भी मामले सर्किट बेंच में तय किए जाने हैं, किसी विशेष बेंच में मामले को तय करने वाली फ़ाइल में विशिष्ट आदेश होना चाहिए, उपरोक्त आदेश प्रिंसिपल बेंच में सूचीबद्ध होने पर वकीलों या पार्टियों की उपस्थिति में पारित किया जाना चाहिए। या यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नोटिस वास्तव में दोनों पक्षों को तामील करा दिया गया है। जो भी अपील सुनवाई के लिए ली जाती है, उस तारीख को कार्यवाही दिखाते हुए रिकॉर्ड पर एक अंतरिम आदेश पारित किया जाना चाहिए। पार्टियों को नोटिस की सेवा सुनिश्चित करने का एक तरीका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठान आम तौर पर उस क्षेत्र से संबंधित होता है। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं. संचार के साधनों के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जहां भी प्रतिष्ठानों के पास फैक्स या मेल आईडी है, उस माध्यम से भी नोटिस की एक प्रति भेजने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि यह सफल रहा तो इसे भविष्य में नोटिस तामील कराने के तरीके के रूप में अपनाया जा सकता है। इसके अलावा, अपील दायर करने वाले वकील को भी सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा ही वह ईमेल के माध्यम से भी कर सकता है। अपील दायर करते समय, यह आवश्यकता होनी चाहिए कि अपील दायर करने वाले पक्ष और वकील को अपना पूरा पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल पता प्रदान करना चाहिए ताकि ट्रिब्यूनल उनके साथ संवाद करने में सक्षम हो सके।
/जोर दिया गया/

(15) लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आवेदकों/अपीलकर्ताओं के मार्गदर्शन के उद्देश्य से यह उचित होगा कि दायर इस आवेदन/प्रथम अपील का निर्णय करते समय आदेश में ही यह उल्लेख किया जाए कि संबंधित पक्ष, यदि व्यथित है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नामित प्राधिकारी के पास अपील का एक उपाय है। उस अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके दौरान

इस तरह के उपाय का लाभ उठाया जा सकता है। इसी तरह के मुद्दे पर इस अदालत ने 2012 के सी.डब्ल्यू.पी नंबर 15230- मोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य में विचार किया था, जिसका फैसला 9.8.2012 को हुआ था और निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे:
"अभी भी, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970 के संदर्भ में बर्खास्तगी का आदेश अपील योग्य है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि उसके पास कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है। जाहिर तौर पर यह बयान भ्रामक है. भविष्य में ऐसे किसी भी अवसर से बचने के लिए और कर्मचारियों को लागू नियमों/विनियमों के अनुसार अपील दायर करने या किसी अन्य उपाय का लाभ उठाने के उनके वैधानिक अधिकार के बारे में मार्गदर्शन करने की दृष्टि से, यह उचित होगा यदि प्राधिकारी, जो आदेश पारित करता है सज़ा या कोई अन्य आदेश, जिसमें शीर्ष पर या अंत में विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो कि आदेश के खिलाफ अपील नामित प्राधिकारी के पास विचारणीय है और यहां तक कि इस तरह के उपाय का लाभ उठाने की अवधि भी। "

(16) यह अपेक्षा की जाती है कि आयोग इस मामले में पारित आदेश को अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाएगा।

(17) आदेश की प्रति मुख्य सूचना आयुक्त, नई दिल्ली और राज्य सूचना आयोग, पंजाब को भी भेजी जाएगी ताकि इसे अधिनियम के तहत मामलों से निपटने वाले सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके।

(18) आदेश की प्रति मुख्य सचिव, पंजाब और हरियाणा और गृह सचिव, यूनी ऑन टेरिटरी, चंडीगढ़ को भी सूचना और अनुपालन के लिए भेजी जाएगी।

(19) याचिका का निपटारा किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
कुरूक्षेत्र, हरियाणा